पत्र संख्या–4/स्था0मु0–10–65/2010 गृ0आ0–

बिहार सरकार,
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

अरुण डेढ़गवें,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार।

पटना, दिनांक– जुलाई, 2011

विषयः– **लोक सेवाओं के अधिकार, अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार, अधिनियम, 2011 का क्रियावयन दिनांक 15.08.2011 से प्रारंभ होगा। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विन्दुओं का अनुपालन राज्य के प्रत्येक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में कराया जाना है :–

1. प्रत्येक जिला में नियोजित आई0टी0मैनेजर के माध्यम से लोक सेवाओं के अधिकार से संबंधित सॉफ्टवेयर का अधिष्ठापन अविलम्ब किया जाना है।
2. आवेदनों के प्राप्ति के लिये काउन्टर का निर्माण किया जाना है, जिसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एक जानकार कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
3. प्रदत्त की जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जाना है, जिसमें अधिसूचित सेवा, नाम निर्दिष्ट लोक सेवक, सेवा हेतु निर्धारित समय, अपीलीय प्राधिकार आदि संबंधी विवरण अंकित रहेंगा।
4. सभी नाम निर्दिष्ट लोक सेवकों, अपीलीय प्राधिकार, पुनर्विलोकन प्राधिकार तथा संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों द्वारा जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है। जिलों में यह प्रशिक्षण निर्धारित कलैन्डर के अनुसार पूरा हो जाय, कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय।

5. प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ट्रायल रन को सुनिश्चित कराया जाय।

आपकी सुविधा हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 529 दिनांक 20.07.2011, पत्रांक– 522 दिनांक 19.07.2011 एवं पत्रांक– 378 दिनांक 14.06.2011 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त पावती रसीद एवं आवेदन पंजी का विहित प्रपत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 4/स्था0मु0–10–65/2010 गृ0आ0 5657 पटना, दिनांक 29 जुलाई, 2011

प्रतिलिपि :– सभी पुलिस अधीक्षक, को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि पत्र में अंकित विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

29/7/11

सरकार के अपर सचिव